संख्या- 35/2021/1552 /छिहत्तर-1-20[illegible]-3 सम/2020 टी0सी0-I

1664
07/07/21

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक 6 जुलाई,2021

विषयः- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में इन्पैनल्ड एजेंसियों के माध्यम से Information Education Communication (IEC) के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु Implementation Support Agency के दायित्वों/ गतिविधियों एवं इनके कार्यों के अनुश्रवण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03(शिकायत) /2020, दिनांक 05 फरवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या-1188/छिहत्तर-1-2020-03 (शिकायत) /2020, दिनांक 21 मई, 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

2. आप भिज्ञ हैं कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त लक्ष्य के प्राप्ति हेतु युद्धस्तर पर कार्यवाही गतिमान है। ऐसी स्थिति में विभिन्न जनपदों में जल जीवन मिशन के प्रति जन-जागरूकता हेतु प्राथमिकता पर आई0ई0सी0 गतिविधियों का संचालन किया जाना आवश्यक है, ताकि व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन-मानस को जोड़ा जा सके। वर्तमान में प्रत्येक जनपद में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अधीन कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ (आई0एस0ए0) विभिन्न सपोर्ट गतिविधियों के संचालन हेतु क्रियाशील है। इन एजेंसियों को उनकी सहमति की दशा में क्षमतानुसार आई0ई0सी0 की संगत गतिविधियों को आवंटित करते हुए कार्य कराया जाना है।

3. वर्तमान में समस्त 75 जनपदों में 165 इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं। उक्त संस्थायें आर0एफ0पी0/अनुबन्ध में निर्धारित Scope of Work के अनुसार कार्य कर रहीं है। आई0एस0ए0 हेतु निर्धारित Scope of Work में अन्तर-वैयक्तिक संचार गतिविधि (Inter Process Communication) पूर्व से ही विद्यमान है, इस गतिविधि का संचालन कराया जाना है, जिसके लिये आई0एस0ए0 को किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।

4. इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ यथा (1) Slogan Wall Writing (2) Cultural Activity / Nukkad Natak को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को उनकी सहमति पर उनकी क्षमतानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्य आवंटित किया जा सकता है।

5. कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ (आई0एस0ए0) जल जीवन मिशन के बारे में ग्रामवासियों के साथ गहन चर्चा करेंगी तथा अपनी योजना के प्रति सोच व व्यवहार में बदलाव लाने और योजना का नेतृत्व करने के लिये ग्रामवासियों को सामान्य जानकारी उपलब्ध करा हितधारकों, ग्राम के पर्याप्त [illegible]

सम्बंधित संलग्न स्लोगन लिखा जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से समस्त 75 जनपदों में इम्पैनल्ड इच्छुक आई0एस0ए0 को सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दरों की सीमा तक कार्य आवंटित करते हुए गतिविधियां संचालित कराई जाएंगी।

6. कृपया सुनिश्चित करें कि सभी ग्राम पंचायतों में वाल राइटिंग और नुक्कड़ नाटक, घर-घर जाकर लोगों से संवाद करना, ग्राम सभा की खुली बैठक कराना, लोगों को पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को समझाना इत्यादि गतिविधियां Implementation Support Agency के माध्यम से युद्धस्तर पर कराते हुए सभी गतिविधियां विभाग के पोर्टल https://jalshaktiup.org पर लगातार अपलोड करायी जाए।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या 35 /2021/ 1552(1) /छिहत्तर-1-2021-3सम/2020 टी0सी0-I, तद्दिनांक।

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन , लखनऊ।
7. समस्त कार्यदायी संस्थाएं (द्वारा जिलाधिकारी)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 आम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव